गया है। सामान्य वर्ग के स्वरोजगारी को 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 10000=00 एवं स्वयं सहायता समूह हेतु 1.25 लाख रुपये का अनुदान देय है, किन्तु सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान की राशि का कोई भी सीमा नहीं होगी। अनुदान बैंक इन्डेड होगा। ऋण की वापसी 5 वर्षों में करनी होगी। विकास खण्ड/ग्राम पंचायतस्तर से 80 प्रतिशत ऋण की वसूली की जायेगी और जो विकास खण्ड/ग्राम पचायत ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें अनुवर्ती वर्षों मे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुछ भी आवंटित नहीं किया जायेगा।

स्वरोजगारी द्वारा ऋण की तुरन्त वापसी करने पर उसे 0.50 प्रतिशत की अनुश्रवण एवं प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी जायेगी।

स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता : स्वयं सेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण सहभागिता रखी गयी है। चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं को उन्हें आवंटित विकास खण्ड में स्वयं सहायता समूह के गठन हेतु एक पूर्ण कालीन सुविधा दाता जिसकी शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट हो और उसे ग्राम विकास कार्य का एक वर्ष का अनुभव हो। ऐसे सुविधा दाता 2500-00 रुपये प्रतिमाह नियत वेतन पर स्वयं सेवी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा और उसे क्षेत्रीय भ्रमण हेतु 500-00 रुपये की प्रतिपूर्ति वास्तविक भ्रमण एवं रात्रि विश्राम के आधार पर की जायेगी। सुविधा दाता, द्वारा योजना के सफल संचालन, लेखों के रख-रखाव में मार्ग दर्शन दिया जायेगा। एक सुविधा दाता द्वारा कम से कम 12 स्वयं सहायता समूहों का पर्यवेक्षण किया जायेगा और वह प्रत्येक सहायता समूह का माह में दो बार भ्रमण अवश्य करेगा। स्वयं सेवी संस्था को इसके लिए 300-00 रुपये प्रति समूह की दर से ओवर हेड भी दिया जायेगा, जो स्वयं सेवी संस्था द्वारा लेखन सामग्री, निर्धारित मासिक प्रगति विवरण के प्रगति के प्रेषण तथा संस्था द्वारा इस कार्य हेतु यात्रा आदि पर व्यय की जायेगी।

स्वर्ण जयंती ग्राम योजना

यह योजना प्रदेश में देश की स्वतन्त्रता के स्वर्ण जयन्ती वर्ष 1997 में लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में एक स्वर्ण जयंती ग्राम चयन करके उसमें विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। योजनान्तर्गत इन्दिरा आवास योजना, बायोगैस, उन्नत चूल्हा, स्वच्छ शौचालय, पेयजल योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, सम्पर्क मार्ग निर्माण, प्राइमरी पाठशाला, पंचायत घर निर्माण, रेशम कीट पालन, मिनी डेरी, महिला डेरी, डेरी विकास समितियाँ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, न्यू माडल चर्खा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्य औद्योगिक इकाइयाँ, सुनिश्चित रोजगार योजना को मिलाकर कुल 21 कार्यक्रमों का उपलब्ध विभागीय बजट से उपरोक्तानुसार चयनित प्रदेश के चुनिंदा ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक ग्राम के लिए कार्य योजना जनपदवार, तैयार कर इन कार्यक्रमों से ग्रामों को संतृत करने हेतु कार्यविधि भी निर्धारित की गयी है।

इस प्रकार गांधी ग्राम एवं अनु० जाति बहुल ग्रामों में अम्बेडकर ग्राम योजना लागू है।

सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास निधि/विधायक निधि

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक सांसद को 2-00 करोड़ रुपये तक की धनराशि उनके संसदीय क्षेत्र में कराये जाने वाले विकास कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। योजना का मूल उद्देश्य है कि अन्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत जो कार्य किये जाने में कठिनाई हो, उन्हें माननीय सांसद के प्रस्ताव पर उनके संसदीय क्षेत्र में सम्पादित कराये जा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थ, धार्मिक स्थलों के निर्माण कार्य आदि को छोड़ कर सामान्यतया सामुदायिक लाभ के किसी भी कार्य को लिया जा सकता है जैसे—पाठशाला भवनों का निर्माण कार्य, पंचायत भवन एवं चिकित्सालय भवनों का निर्माण कार्य, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक गोबर गैस प्लांट, सिंचाई नाली निर्माण कार्य इत्यादि। इसी तरह प्रत्येक विधायक को रु० 75.00 लाख इसी प्रकार के कार्य कराये जाने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं।

पूर्वांचल विकास निधि

प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित जनपदों के अन्तर क्षेत्रीय विषमताओं तथा पिछड़ेपन का कम करने हेतु इस योजना को वर्ष 1990-91 से लागू किया गया है। इस निधि के अन्तर्गत साधारणतया उन्हीं परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है जिन्हें सामान्य रूप से जिला प्लान अथवा राज्य प्लान में लिया जाना संभव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी परियोजनाओं का चयन किया जाता है जो क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने में सहायक होती है। जैसे— बड़ी सड़कें, पुल, पेयजल सुविधा के पम्प हाउस, विद्युतीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाठशाला भवन आदि। निधि के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के अनुरक्षण का दायित्व पूर्णतः प्रशासकीय विभाग का होगा।